

जाही/समादेशबन्धु
25/02/2013

संख्या- 109/54-1-13/1(01)/2010

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह

संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रो0 आर0के0 त्रिवेदी

निदेशक, साइन्स एण्ड टेक्नालॉजी इण्टरप्रीनियर्स पार्क
हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट,
कानपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2013

(समादेश बन्धु)

विषय- समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) की क्षमता निर्माण कार्य के पैनल में साइन्स एण्ड टेक्नालॉजी इण्टरप्रीनियर्स पार्क हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर संस्थान को सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 828/54-1-12/01(01)/2010 दिनांक 17 नवम्बर, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा साइन्स एवं टेक्नालॉजी इण्टरप्रीनियर्स पार्क हरकोर्ट बटलर टेक्नालॉजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर को आईडब्ल्यूएमपी योजना के क्षमता निर्माण कार्य के पैनल में शामिल करने हेतु नामित किया गया है। तदुपरान्त प्रशिक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 55/54-1-13/1(01)/2010 दिनांक 29 जनवरी, 2013 द्वारा प्रशिक्षण की विभिन्न विधाओं यथा- कम्प्यूटर (एम.एस.आफिस एवं इण्टरनेट), बेकरी, दुपहिया वाहनों की रिपेयरिंग, मोटर बाइन्डिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्रेस मेकिंग, रेडीमेड गारमेन्ट्स एवं ब्यूटीकेयर/ब्यूटीशियन के सम्बन्ध में आपके संस्थान को अधिकृत किया गया। प्रश्नगत शासनादेश द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी (जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, शामली एवं कासगंज को छोड़कर), आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश, लखनऊ एवं अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर, से यह अपेक्षा की गयी है कि वाटरशेड परियोजनाओं में चयनित ऐसे विषयों का प्रशिक्षण जिसके लिए साइन्स एवं टेक्नालॉजी इण्टरप्रीनियर्स पार्क हरकोर्ट बटलर टेक्नालॉजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर, को अधिकृत किया गया है, उनसे कराया जाय तथा संस्था को आदेश निर्गत करने से पूर्व चयनित कार्यों की विषय सूची, अनुसूची, दर एवं प्रशिक्षणार्थियों की संख्या आदि का पूर्ण विवरण डब्ल्यूसीडीसी के माध्यम से एसएलएनए को उपलब्ध कराया जाय तथा संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएलएनए की संस्तुति के उपरान्त ही प्रशिक्षण कार्य हेतु आदेश निर्गत किया जाय। (छायाप्रति संलग्न)

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि उप निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन, कानपुर मण्डल, कानपुर, के पत्र संख्या उ0नि0/1242/कै0वि0/डब्ल्यूसीडीसी/20012-13 दिनांक 22 फरवरी, 2013 एवं उप निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के पत्र संख्या उ0नि0/631/लेखा/आईडब्ल्यूएमपी/सीबी/20012-13 दिनांक 22 फरवरी, 2013 द्वारा शासन को यह सूचित किया गया है कि आप द्वारा दी गयी प्रशिक्षण की दरें अत्यधिक हैं।

o/e

3. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जब तक शासन स्तर से उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासनादेश में इंगित विधाओं पर आपके संस्थान द्वारा प्रशिक्षण देने हेतु दरों का निर्धारण नहीं कर दिया जाता है, तब तक के लिए कार्यालय ज्ञाप संख्या 828/54-1-12/01(01)/2010 दिनांक 17 नवम्बर, 2012 तथा शासनादेश संख्या 55/54-1-13/1(01)/2010 दिनांक 29 जनवरी, 2013 का क्रियान्वयन एतद्द्वारा स्थगित किया जाता है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आनन्द कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या-¹⁰⁰(1)/54-1-13/1(01)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी, (जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, शामली एवं कासगंज को छोड़कर)
- ✓ 4. आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, 23 सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
- ✓ 5. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, पाण्डुनगर, कानपुर।
6. समस्त उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
- ✓ 7. प्रशासनिक अधिकारी, एसएलडीसी, 23-सी, गोखले मार्ग, लखनऊ, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाइट <http://upldwr.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी, आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक, लखनऊ एवं अध्यक्ष एवं प्रशासक-रामगंगा कमाण्ड, कानपुर को ई-मेल भी प्रेषित करें।
8. गार्ड फाइल।

Handwritten signature and date: 25-2-13

(आनन्द कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी